एम. पी. माथुर और अन्य

बनाम

डी. टी. सी. और अन्य

नवंबर 24, 2006

[अरिजीत पसायत और एस. एच. कपाड़िया न्यायमूर्ति,]

वचन विबंधनन का सिद्धांत. सरकार द्वारा योजना के तहत औद्योगिक श्रमिकों और समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास निर्मित किये गये। अधिभोगियों को स्वामित्व के आधार पर आवंटित घरों के हस्तांतरण को अनुमति देने वाली याश्जना में संशोधन किया गया। सरकारी निगम द्वारा अधिभोगियों को स्वामित्व के आधार पर आवंटित घरों के हस्तानान्तरण के लिये प्रस्ताव पारित किया। पहले से ही सेवा से सेवानिवृत्त अधिभोगियों निगम के पास 254 औद्योगिक श्रमिकों को समायोजित करने के लिए केवल 480 आवास/मकान हैं। प्रस्ताव अधिभोगियों को नहीं बताया गया। बिक्री राषि तय नही की गयी। अधिभोगियों को भुगतान करने के लिये कभी नहीं बुलाया गया। निगम ने बाद में आवास बेचने के निर्णय को रद्द कर दिया और भारत सरकार के नीतिगत निर्णय को लागू करने से इनकार कर दिया-अधिभोगियों ने आवासों के हस्तांतरण के लिए पात्रता की घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया, अभिनिर्धारित किया, योजना केवल एक सामथ्र्यकारी योजना थी और

अनिवार्य नहीं थी और निगम योजना के तहत आवास बेचने के लिए बाध्य नहीं था। कब्जाधारियों के पक्ष में स्वामित्व के हस्तांतरण का प्रावधान करने वाला प्रस्ताव अस्थायी था और अंतिम और बाध्यकारी निर्णय नहीं था और इसने अपने आप में कोई कानूनी अधिकार नहीं बनाया.सरकार को प्रतिस्पर्धी दावों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता थी। बड़े सार्वजनिक हित ने वचन विबंधन के सिद्धांत के आह्वान को रोक दिया। इन तथ्यों में, पक्षकारों के बीच कोई अनुबंध नहीं है और निचली अदालत द्वारा पारित डिक्री को अपास्त कर दिया गया है-विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963.धारा 34।

प्रत्यर्थी-दिल्ली परिवहन निगम ने औद्योगिक श्रमिकों और समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एकीकृत अनुदानित आवास योजना 1952 के तहत 300 आवासों का निर्माण किया और अपीलार्थी वादी जो इसके औद्योगिक कर्मचारी थे, को उक्त आवास आवंटित किए। अपीलार्थी सेवानिवृत्त हो चुके हैं लेकिन उक्त क्वार्टरों में रहना जारी रखे हुए हैं। उक्त योजना में 1978 में संशोधन किया गया था जिसमें स्वामित्व के आधार पर आवंटित घरों को अपीलार्थियों को हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई थी। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थियों को उक्त सेवा क्वार्टर बेचने के लिए 18.4.1979 और 31.8.1979 दिनांकित प्रस्ताव पारित किए। हालाँकि प्रत्यर्थी का मानना है कि उसके बाद के संकल्प दिनांक 3.12.1979 को 2.3.1981 के संकल्प

के साथ पढ़ा गया और उसने क्वार्टर आवास बेचने के अपने निर्णय को रद्द कर दिया।

अपीलार्थियों ने उक्त आवासों के हस्तांतरण की पात्रता की घोषणा के लिए उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया जिसका आदेश एकल न्यायाधीश ने दिया था। प्रत्यर्थी ने अपील की, जिसे खंड पीठ द्वारा अनुमति दी गई थी। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह प्रतिवादी केंद्र सरकार के अधिभोगियों को आवास बेचने के फैसले पर सवाल उठाने के लिये स्वतंत्र नहीं है। यह कि संकल्प दिनांकित 18.04.1979 व दिनांकित 31.08.1979 को साथ में पढा जाने पर उनके पक्ष में कानूनी अधिकार बनाया था और वैकल्पिक रूप से भले ही कोई कानूनी अधिकार नहीं था लेकिन प्रत्यर्थी के आचरण द्वारा उनके पक्ष में एक विबंधन बनाया गया था क्योंकि अपीलकर्ताओं ने प्रत्यर्थी द्वारा किए गए वादे पर भरोसा करते हुए अपनी स्थिति को अपने नुकसान के लिए बदल दिया था और इसलिए प्रत्यर्थी के लिए यह खुला नहीं था कि वह अपने पहले के निर्णय से बाद के संकल्प दिनांक 3.12.1979 के माध्यम से वापस ले।

प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि यह योजना केवल एक सामथ्र्यकारी योजना थी और यह प्रत्यर्थी पर अपने घरों को बेचने के लिए कोई दायित्व पैदा नहीं करती थी, वह निर्णय दिनांक 18.4.1979 केवल अस्थायी था, यह कि

प्रस्ताव पारित करने के बारे में किसी भी अपीलार्थी को कभी सूचित नहीं किया गया था, यह कि प्रत्यर्थी द्वारा कभी भी आवंटन पत्र जारी नहीं किया गया था, और मकानों को नहीं बेचने का निर्णय विशेष रूप से लिया गया था क्योंकि प्रत्यर्थी के पास केवल 480 मकान थे जो अप्रैल 1979 में 5254 औद्योगिक श्रमिकों के आवास के लिए अपर्याप्त थे।

अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया:

1. वचन विबंधन इक्विटी या दायित्वों पर आधारित होता है। यह निहित अधिकार पर आधारित नहीं है। इक्विटी में न्यायालय को एक ओर व्यक्तिगत अधिकारों और दूसरी ओर व्यापक सार्वजनिक हित के बीच संतुलन बनाना होता है। अनुबंध की स्वतंत्रता सामान्य कानून मे एकं नागरिक स्वतंत्रता है, जो सभी व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाती है। लेकिन जब सरकार निजी पक्षों के साथ अनुबंध कर रही होती है तो यह सामान्य कानून की स्वतंत्रता प्रशासनिककानून के सिद्धांतों द्वारा सीमित होती है जिसके लिए व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। व्यापक लोक हित न केवल सेवानिवृत्त कामगारों को समायोजित करने के लिए है, बल्कि सेवा में कार्यरत कामगारों को ठहराने के लिए भी है। यहां तक कि संविधान के अनुच्छेद 39 ;बीद्ध और ;सीद्ध में निहित सिद्धांतों को लागू करते हुए समतावादी समानता के लिए सरकार को प्रतिस्पर्धीदावों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। यहां तक

कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, जिस पर हमारा संविधान स्थापित है, प्रशासन को प्रतिस्प्रधी दावों के बीच संतुलन बनाना होगा। ;529-ए-सीद्ध

बिक्री कर अधिकारी और अन्य बनाम दुर्गा ऑयल मिल्स और अन्य ;1998 द्ध 1 एस. सी. सी. 572, शर्मा ट्रांसपोर्ट बनाम आंध्रप्रदेश सरकार और अन्य। ;2002 द्ध , 2 एस.सी.सी. 188, और बन्नारी अम्मान शुगर लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य ;2005 द्ध 1 ,एससीसी 625, पर भरोसा किया।

2.1. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी-डी. टी. सी. सैद्धांतिक रूप से औद्योगिक श्रमिकों को स्वामित्व के आधार पर मकानों का हस्तांतरण करने के लिये सहमत था। हालांकि, जब डीटीसी ने जमीनी हकीकत की जांच की, तो उसने पाया कि संसाधनों की भारी कमी के साथ.साथ प्रतिस्थापन की बढ़ती लागत 3 करोड़ रूपये थी। केंद्र सरकार ने भी निर्माण की पूरी लागत का भुगतान नहीं किया। डीटीसी द्वारा 480 आवासों में लगभग 5000 सेवाकालीन कर्मचारियों को समायोजित करना था। डीटीसी, प्रासंगिक समय में घाटे में चल रहा सार्वजनिक क्षेत्र का का उद्यम था। इन कठिनाइयों के बावजूद, डीटीसी ने अपीलार्थियों के दावों को समायोजित करने का प्रयास किया। लेकिन, वे ऐसा नहीं कर सके। इन परिस्थितियों में अंततः डीटीसी ने भारत सरकार को सूचित किया कि उपरोक्त परिस्थितियों में उसके लिए

योजना को लागू करना संभव नहीं था। इसलिए, डीटीसी के आचरण को दोष नहीं दिया जा सकता है। ;529-सी-ईद्ध

2.2 इसके अलावा, दिनांक 31.08.1979 के संकल्प के द्वारा स्वामित्व के आधार पर मकानों को आवंटित करने का निर्णय एक अस्थायी निर्णय था। डीटीसी द्वारा किसी भी व्यक्तिगत कर्मचारी के साथ कोई अनुबंध नहीं किया गया था। डी. टी. सी. पट्टेदार था। डीडीए एक पट्टादाता था। डी. टी. सी. को डी. डी. ए. के साथ लागत..लाभ अनुपात तय करना था। वह अभ्यास कभी नहीं किया गया था। डीटीसी द्वारा कभी भी एक भी संचार नहीं भेजा गया था। डी. टी. सी. द्वारा अपीलार्थियों को कोई औपचारिक बिक्री .शर्तें कभी तय या सूचित नहीं की गईं। किसी भी अपीलार्थी को कभी भी, डीटीसी को अंतिम बिक्री राशि का भुगतान करने के लिए नहीं कहा गया था। इन परिस्थितियों में, संकल्प दिनांकित 31.08.1979 ,क अस्थायी निर्णय था और न कि एक अंतिम और बाध्यकारी निर्णय जैसा कि आरोप लगाया गया था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त प्रस्ताव ने अपने आप में एक कानूनी अधिकार पैदा किया है। डी. टी. सी. के दिनांकित 03.12.1979 के संकल्प में कोई पूर्वाग्रह, भेदभाव या मनमानेपन नहीं है जिसके द्वारा डी. टी. सी. ने अपने पहले के निर्णय को वापस ले लिया था। ;529-ई-एचद्ध

2.3. यहां तक कि उक्त योजना को लागू नहीं करने में केंद्र सरकार ने भी अपने फैसले में डीटीसी से सहमति व्यक्त की। यह योजना एक सक्षम करने वाली योजना थी। यह अनिवार्य नहीं है। डीटीसी, योजना के तहत घरों को बेचने के लिए बाध्य नहीं था। भारत सरकार ने डीटीसी को बहुत कम धन दिया था। वास्तव में डीटीसी को भारत सरकार से लिए गए ऋण को ब्याज के साथ चुकाना आवश्यक था। इन परिस्थितियों में, डीटीसी के लिए यह खुला था कि वह रहने वालों को बिक्री के माध्यम से उक्त घरों को आवंटित करने के अपने फैसले को वापस ले। इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि डी. टी. सी. द्वारा घरों को नहीं बेचने के लिए पारित किया गया विवादित प्रस्ताव किसी भी तरह से मनमाना, पूर्वाग्रहपूर्ण, या भेदभावपूर्ण था। ;530-ए-बीद्ध

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट ;2006द्ध, एस. यू. पी. 9 एस सी आर।

3. अपीलार्थियों की ओर से दिए गए इस तर्क में कोई दम नहीं है कि डीटीसी के वादे पर भरोसा करते हुए उन्होंने अपनी स्थिति को अपने पूर्वाग्रह में बदल दिया। कुछ अन्य आवास योजनाओं के तहत खरीद का विकल्प नहीं चुना गया। अध्यक्ष द्वारा उपरोक्त कठिनाइयों को इंगित करते हुए बिक्री को मंजूरी देने के लिए 31.08.1979 दिनांकित प्रस्ताव को 03.12.1979 पर स्थगित कर दिया गया था। इसके अलावा अपीलार्थियों को

कभी भी व्यक्तिगत रूप से भुगतान करने के लिए कोई संचार नहीं भेजा गया था। इसलिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं था जैसा कि आरोप लगाया गया है। ;530-सी-डीद्ध

4.1 वर्तमान मुकदमा इक्विटी पर आधारित है। जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है, उसके अनुसार इक्विटी शब्द के चार अलग.अलग अर्थ हैं। आम तौर पर इसका अर्थ है 'संपत्ति में न्यायसंगत हित'। कभी.कभी, इसका अर्थ होता है 'एक मात्र इक्विटी जो संपत्ति के कुछ अधिकार से जुडा हुआ एक प्रक्रियात्मक अधिकार है, उदाहरण के लिए, एक हस्तांतरण को सुधारने का न्यायसंगत अधिकार है। तीसरा, इसका अर्थ 'फ्लोटिंग इक्विटी हो सकता है, एक ऐसा शब्द जिसका उपयोग वसीयत के तहत लाभार्थी के हक का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। चैथा, 'निषेधाज्ञा या अन्य न्यायसंगत उपचार प्राप्त करने का अधिकार'। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं ने एक उपाय की मांग की है जो विवेकाधीन है। उन्होंने विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 34 के तहत मुकदमा दायर किया है। न्यायालय को जिस विवेकाधिकार का प्रयोग करना है, वह न्यायिक विवेकाधिकार है। उस विवेक का प्रयोग सुव्यवस्थित सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए। इसलिए, न्यायालय को विचार करना होगा.दायित्व की प्रकृति जिसके संबंध में निष्पादन की मांग की जाती है, परिस्थितियाँ जिनके तहत निर्णय लिया गया, पक्षों का आचरण और डिक्री देने वाले न्यायालय का प्रभाव। ऐसे मामलों में न्यायालय को अनुबंध को देखना

होता है। न्यायालय को यह पता लगाना होगा कि क्या अनुबंध में पारस्परिकता का कोई तत्व मौजूद है। यदि पारस्परिकता का अभाव है तो न्यायालय वादी के पक्ष में विवेक का प्रयोग नहीं करेगा, भले ही पारस्परिकता की कमी को माना जाता हो। विवेकाधीन और विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक पूर्ण बाधा के रूप में नहीं, न्यायालय को विषय वस्तु के संबंध में पक्षों के पूरे आचरण पर विचार करना होगा और किसी भी अयोग्य परिस्थितियों के मामले में न्यायालय अनुरोधित राहत प्रदान नहीं करेगा। ; 530-एफ.एच, 531-एद्ध

स्नेल द्वारा इक्विटी, 31वां संस्करण पृष्ठ 366 का उल्लेख किया गया है।

4.2, वर्तमान मामले में, उपरोक्त परीक्षण को लागू करते हुए, पारस्परिकता का कोई अंश नहीं पाया जाता है। डी. टी. सी. और अपीलार्थियों के बीच कोई अनुबंध नहीं है। डी.टी.सी.और अपीलार्थियों के बीच किसी भी समय संचार नहीं हुआ है। कोई बिक्री राशि कभी भी तय नहीं की गयी। अपीलार्थियों को कभी भी भुगतान करने के लिए नहीं बुलाया गया। आवंटन का निर्णय अस्थायी बना रहा। इन परिस्थितियों में किसी भी समय नाहि कोई अनुबंध था ना ही इक्विटी मौजूद थी जिससे कि डी. टी. सी. को अपीलार्थियों को आवास देने के लिए मजबूर किया जा सके। ;531-बी-सीद्ध

5. वर्तमान मामले में वचन विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं था। इक्विटी के संतुलन पर यह स्पष्ट है कि डीटीसी जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है जिसको जनहित में कार्य करना था जिसका अर्थ है कि उसको ट्रांसपोर्ट का कार्य चालू रखना था। जिसके लिये सेवारत औद्योगिक श्रमिकों को ठहराना था जो वे नही कर सकते थे, अगर उन्हें मौजूदा सेवा आवास सेवानिवृत्त लोगों को बेचना पडता। इन परिस्थितियों में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द करने में खण्ड पीठ सही थी। ;533-डी-ईद्ध

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5281/2005

दिल्ली उच्च न्यायालय के 19.2.2003 दिनांकित निर्णय और आदेश से

नई दिल्ली में आर.एफ.ए. ;ओएसद्ध 1992 का सं. 4।

के. के. वेणुगोपाल, सैयदा हिना रिज़वी, गोपाल शंकर नारायणन, प्रसाद

विजयकुमार और सैयद शाहिद हुसैन रिज़वी, अपीलार्थियों की ओर से।

टी. एल. वी. अय्यर, ए. सुभाशिनी- प्रतिवादी संख्या 1 के लिए,

टी. एस. दोआबिया, तुफैल ए. खान, सुश्री सुनीता शर्मा, आर.सी. कथिया, डी. एस. माहरा, वी. के. वर्मा और अनिल कटियार. प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 के लिए

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति कपाडिया, जे. द्वारा सुनाया गया था। यह दीवानी अपील मूल वादियों द्वारा दायर की गई है और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा आर.एफ.ए. ;ओ.एसद्ध संख्या 4/1992 में, 1983 के मुकदमा नं0 308 में विद्वान ,कल न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए फैसले. को उलटते हुए आदेश दिनांकित 19.02.2003 के खिलाफ प्रस्तुत की।

इस दीवानी अपील में हमें परिवहन निगम के बोर्ड द्वारा पारित संकल्प सं0 55/79 दिनांकित 18.04.1979 और संकल्प सं0 139/79 दिनांकित 31.08.1979 के दायरे पर विचार करने की आवश्यकता है। वादियों ने तर्क दिया कि उपरोक्त संकल्प दिनांक 31.8.79 के तहत उनके पक्ष में एक कानूनी अधिकार बनाया गया था और दिल्ली परिवहन निगम को बाद के संकल्प 179/79 दिनांक 3.12.79 के साथ पठित संकल्प 35 ध्81 दिनांक 2.3.81 के माध्यम से अपने निर्णय को वापस लेने से रोक दिया गया था।

निर्विवादित तथ्य इस प्रकार हैं।

1962.63 और 1965.66 के बीच दिल्ली प्रशासन की छः कालोनियों नामतः करमपुरा, नेहरू नगर, गिरि नगर, विश्वकर्मा नगर, हरि नगर, जी.टी रोड, मे औद्योगिक श्रमिक व समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये एकीकृत अनुदानित आवास योजना 1952 ;संक्षेप में योजनाद्ध के अंतर्गत 5144 घरों का निर्माण किया गया था। यहां अपीलकर्ता औद्योगिक कर्मचारी है और उन्हंे हरि नगर और जी.टी. रोड कॉलोनियों में सेवा आवास आवंटित किए गए थे। वे सेवानिवृत्त है, फिर भी वे आज तक इन क्वार्टरों में रहते आये हैं। अपीलार्थियों के अनुसार, उपरोक्त योजना के तहत हरि नगर और जी. टी. रोड पर दिल्ली परिवहन उपक्रम द्वारा 300 आवासों का निर्माण किया गया था। 1971 में दिल्ली परिवहन उपक्रम को दिल्ली परिवहन निगम ;संक्षेप में डी.टी.सीद्ध में बदल दिया गया था, दिल्ली प्रशासन के कोटे से 300 घर लिये गये। 1978 में उपरोक्त योजना में बदलाव किया गया जिसमें डी.टी.सी को अधिभोगियों ;वादीद्ध को स्वामित्व के आधार पर आवंटित घरों के हस्तानांतर की अनुमति दी गयी। केंद्र सरकार द्वारा योजना को प्रायोजित किया गया। अपीलकर्ताओं के अनुसार, दिल्ली प्रशासन द्वारा 5144 आवासों में से 4844 आवासों को अधिभोगियों को स्थानांतरित कर दिया गया था। यह 1979 में किया गया। शेष 300 घर, जो हरि नगर व जीटी रोड कालोनियों मे थे व, डी.टी.सी से संबंधित थे, का हस्तांतर. नहीं किया गया था। जब डी. टी. सी. ने 300 घरों को हस्तांतरित करने के लिए कदम नहीं उठाए तो डी. टी. सी. श्रमिक संघ

द्वारा इसका विरोध किया। उन्होंने हड़ताल पर जाने की धमकी दी। 28.10.1978 को एक समझौता डी. टी. सी. और संघ के बीच औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत हस्ताक्षर किया गया। जिसके तहत अधिभेयिगों को घरों के हस्तांतर. की श्रमिकों की मांग पर फैसला लेने के लिये छह महीने का समय दिया गया था। छह महीने की समाप्ति से पहले, डीटीसी ने संकल्प दिनांक 18.4.1979 के माध्यम से, सैद्धांतिक रूप से सेवा क्वार्टरों को रहने वालों को बेचने का निर्णय लिया। रहने वालों को कुछ फॉर्म भरने के लिए कहा गया था, उन्हें डीटीसी के लिये कुछ जानकारी देने के लिए कहा गया था यह अपीलार्थियों द्वारा किया गया था। डी. टी. सी. ने दिनांक 31.08.1979 के एक अन्य प्रस्ताव द्वारा आवासों को रहने वालों को बेचने की योजना को मंजूरी. रहने वालों द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करने के पश्चात् संतु ट होने के अधीनदी गयी। यहां तक कि वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट में भी डीटीसी ने कहा कि उपरोक्त योजना के तहत निर्मित 300 सेवा आवासों के स्वामित्व का हस्तांतरण करने की कार्रवाई की गई है। अपीलार्थियों के अनुसार, डीटीसी ने चार कॉलोनियों, करमपुरा, नेहरू नगर, गिरि नगर, विश्वकर्मा नगर में 5144 आवासों में से 4844 आवासों को अपने निवासियों के पक्ष में हस्तांतरित करने के दिल्ली प्रषासनके दिनांक 1 के निर्णय के अनुरूप उपरोक्त कदम उठाए और इसलिए, यहां अपीलार्थियों को यकीन था कि उनके मामले में स्वामित्व के आधार पर आवासों को स्थानांतरित करने का निर्णय लागू किया जाएगा। हालांकि, डीटीसी के अध्यक्ष ने बोर्ड से

लगभग 3 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई प्रतिस्थापन लागत के आलोक में बेचने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया, विशेष रूप से जब डीटीसी को भारी संचित नुकसान हुआ था। भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 16.05.1980 द्वारा डीटीसी को आवासों को रहने वालों को बेचने के अपने फैसले को लागू करने के लिए आमंत्रित किया। अंततः संकल्प दिनांकित 02.03.1981 मे माध्यम से डी.टी.सी बोर्ड द्वारा बेचने के अपने फैसले को रद्द किया गया और कहा गया कि कंद्र सरकार के नीतिगत निर्णय को लागू नही करेगा। उक्त संकल्प से पीडित होकर अपीलाथर् द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में, इन संपत्तियों के हस्तांतर. के लिये पात्रता की घोषणा के लिये वाद सं0 308/83 दायर किया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 11.09.1991 को वाद को डिक्री किया गया। हालांकि, डी. टी. सी. द्वारा दायर अपील को विवादित फैसले द्वारा अनुमति दी गई थी। इसलिए यह सिविल अपील।

वरिष्ठ वकील, श्री के. के. वेणुगोपाल अपीलार्थियों ;वादियोंद्ध की ओर से उपस्थित होकर प्रस्तुत किया कि डीटीसी का संकल्प दिनांक 02.03.1981 त्रुटिपूर्ण और आधारहीन था। विद्वान वकील के अनुसार, डी. टी. सी. द्वारा अपीलार्थियों को कि, ग, प्रतिनिधित्व को बिना किसी ठोस और पर्याप्त कारण के वापस ले लिया। इस संबंध में यह आग्रह किया गया कि उपरोक्त योजना केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गयी थी। केंद्र सरकार द्वारा इसकी दिनांक 09.02.1978 को समीक्षा की गई थी। इसलिए, डीटीसी केंद्र

सरकार के आवासों का, रहने वालों को बेचने के फैसले पर सवाल उठाने के लिए खुला नहीं था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि 300 आवासों को छोड़कर प्रत्येक अन्य आवास योजना के तहत बेच दिये गये थे। केवल 300 आवास जो डीटीसी के थे, उनको हस्तांतरण नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में, यह तर्क दिया गया था कि डीटीसी ने यह कहते हुए कि किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने घरों को बेचने का फैसला नहीं किया था जैसा कि उपरोक्त संकल्प में उल्लिखित था यह गलती की थी।उपरोक्त संकल्प में डी. टी. सी. द्वारा लिया गया एक आधार ये था कि भारत सरकार का निर्देश आवासों को बेचने के अपने नीतिगत निर्णय को लागू करने के लिए डीटीसी की सिफारिश करने वाला था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बिना माने भी कि कंेंद्र सरकार द्वारा दिये गये निर्देश सिफारिश करने वाले थे तब भी डीटीसी ने अपने प्रस्ताव दिनांक 18.04.1979 और 31.08.1979 द्वारा अपीलार्थी को ये प्रतिनिधित्व किया कि इसके द्वारा रहने वालों को मकान बेचने के लिए फैसला लिया गया था और इसलिए डीटीसी को विबंधन द्वारा अपने बेचने के फैसले को वापस लेने से रोक दिया गया था। विद्वान वकील द्वारा आग्रह किया कि संकल्प दिनांकित 02.03.1981 में यह कहा गया कि डीटीसी के पास 24000 कर्मचारी है जिनको डीटीसी द्वारा ठहराने की आवश्यकता थी। ये आग्रह किया गया कि ये झूठा बहाना था। यह योजना औद्योगिक श्रमिकों के लिए बनायी गयी थी। यह आग्रह किया गया कि 24000 कर्मचारी

प्रासंगिक समय पर कुल कार्यबल थे। जो कर्मचारी औद्योगिक कर्मचारी नहीं थे, वे इस योजना के तहत मकान खरीदने के पात्र नहीं थे। इसके अलावा, डीटीसी संघ को उक्त आवासों को अपीलार्थियों को हस्तांतरित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी और इसलिए डीटीसी के लिए आवासों को रहने वालों को बेचने के अपने पहले के फैसले को वापस लेने का कोई कारण नहीं था। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि डीटीसी के मामले में ऐसा कभी नहीं था कि इन सर्विस क्वार्टरों की आवश्यकता सेवारत कर्मचारियों को ठहराने के लिए थी। यह आग्रह किया गया कि इन आवासों का निर्माण केंद्र सरकार के योगदान से किया गया था और इसलिए डीटीसी इन आवासों का उपयोग योजना के दायरे में नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए करने का हकदार नहीं था। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि 1985 में डीटीसी बोर्ड ने मालिकों को स्वामित्व हस्तांतरित करने की पेशकश की थी। इसलिए पहले वाले मकानों को बेचने का निर्णय वापस लेने का निर्णय बिना किसी आधार के था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि डीटीसी के तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि डीटीसी संचित नुकसान उठा रहा था और यह प्रतिस्थापन लागत को पूरा करने में असमर्थ था।

अपीलार्थियों के अनुसार डीटीसी की, रोहिणी टर्मिनल विनोद नगर, ओखला तृतीय, प्रतापनगर, पंजाबी बाग और कंझावला में स्थित सौ एकड़ भूमि जो कि आवासीय आवास के लिये थी डीटीसी द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। 1986 में कोंडली में डी. टी. सी. को 500 आवासों

के निर्माण के लिए भूमि भी आवंटित की गई थी। अपीलार्थियों के अनुसार आज भी हरि नगर और जी. टी. रोड कॉलोनियों में कुछ मकान खाली पड़े थे। अपीलार्थियों की ओर से आगे यह बताया गया कि शादीपुर में डी. टी. सी. कॉलोनी योजना के दायरे में भी नहीं थी और इसलिए यह कहना कि शादीपुर कॉलोनी के निवासी एक समान मांग भी उठाएंगे, कोई योग्यता नहीं थी।

विद्वान वकील ने आगे कहा कि विवादित निर्णय गलत था। यह आग्रह किया गया था कि मुकदमा वचनविबंधन के सिद्धांत पर आधारित है जो इक्विटी पर आधारित एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत के लिए किसी संविदात्मक या वैधानिक आधार की आवश्यकता नहीं है। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि वादे के आधार पर राज्य के दायित्व और अनुबंध के आधार पर दायित्व के बीच अंतर है। वर्तमान मामले में, विद्वान वकील के अनुसार, मुकदमा डीटीसी द्वारा अपीलार्थियों से किए गए वादे पर आधारित था। यह अनुबंध पर आधारित नहीं था। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि आवासों में कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया गया था। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि अपीलार्थियों ने डीटीसी द्वारा किए गए वादे पर भरोसा करते हुए अपनी स्थिति को अपने नुकसान के लिए बदल दिया था। उन्होंने वैकल्पिक आवास के लिए आवेदन नहीं करके और प्राप्त नहींकरके अपने पूर्वागृह में काम किया। उन्होंने निम्न आयवर्ग के लिये किसी अन्य योजना का लाभ

नहीं उठाकर अपने पूर्वाग्रह के अनुसार कामकिया।इसलिए विद्वान वकील के अनुसार उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की थी कि अपीलकर्ताओं ने अपने नुकसान के लिए अपनी स्थिति नहीं बदली है। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की थी कि कर्मचारियों के व्यापक हित के कारण वचन विबंधन के आह्वान को रोका जा सकता है। विद्वान वकील के अनुसार, डीटीसी द्वारा संकल्प दिनांक 02.03.1981 में दिखाया गया एकमात्र कारण यह था कि अन्य कर्मचारी भी इसी तरह की मांग कर सकते हैं। हालाँकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, विद्वान वकील के अनुसार, श्रमिक संघ ने स्पष्ट कर दिया था कि वे बिक्री के लिए आवंटन पर आपत्ति नहीं करेंगे। इसलिए डी. टी. सी. के लिए यह कहने के लिए खुला नहीं था कि वे अन्य कर्मचारियों से इसी तरह की मांग करने की उम्मीद करते हैं। वकील ने आग्रह किया कि प्रस्ताव दिनांकित 18.4.1979 और 31.8.1979 अपीलार्थियों को बोर्ड द्वारा किए गए वादे या अभ्यावेदन का गठन करते हैं। यह तर्क दिया गया कि डीटीसी छह महीने के भीतर मामले पर फैसला करने के लिए सहमत हो गया था। उन्होंने स्थानांतरण के नियमों और शर्तों के बारे में अपीलकर्ताओं से जानकारी मांगी उन्होंने पत्र लिखे जिसमें रहने वालों का विवरण मांगा गया था डीटीसी की वार्षिक रिपोर्ट भी हस्तांतरण के निर्णय का संकेत देती है और इसलिए डीटीसी पर यह दायित्व था कि वह उन अपीलकर्ताओं से किए गए वादे और अभ्यावेदन

पर कार्रवाई करें जिन्होंने हड़ताल का सहारा नहीं लेकर औद्योगिक शांति बनाए रखते हुए वैकल्पिक आवास के लिए आवेदन नहीं करके और किसी अन्य योजना का लाभ नहीं उठाकर अपनी स्थिति को अपने पूर्वाग्रह में बदल दिया था। इन परिस्थितियों में विद्वान वकील ने आग्रह किया कि अपीलकर्ताओं को किए गए अभ्यावेदन को वापस लेने के लिए दिनांक 02.03.81 के प्रस्ताव को अपास्त कर दिया जाना चाहिए और डीटीसी को अपीलकर्ताओं को मकान बेचने के अपने वादे/अभ्यावेदन को लागू करने के लिए कहा जाना चाहिए।

वरिष्ठ वकील श्री टी.,ल.वी. अय्यर डी. टी. सी. की ओर से उपस्थित होकर प्रस्तुत किया कि उपरोक्त दो कॉलोनियों में इमारतों को अधिभोगियों को हस्तांतरित करने का प्रश्न डीटीसी बोर्ड के समक्ष दिनांक 30.08.1978 को विचार के लिए आया जब भूमि की बढ़ी हुई लागत के कारण आगे की जांच के लिए विचार स्थगित कर दिया गया था जो कई गुना बढ़ गई थी और अन्य कारणों से भी अर्थात् अन्य श्रमिकों से समान मांगे, भारी प्रतिस्थापन लागत और यह तथ्य कि भारत सरकार ने निर्माण की पूरी लागत 35.04 लाख के साथ डीटीसी को निधि नहीं दी थी। विद्वान वकील ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा केवल 6 लाख 25 हजार रुपये दिए गए थे जो ऋण के रूप में दिए गए थे। सब्सिडी के रूप में 1.56 रूपये का भुगतान किया गया। डीटीसी को ब्याज के साथ ऋण चुकाना पड़ा। वास्तव में बार.बार होने वाले नुकसान के कारण शेष राशि का भुगतान नहीं किया

जा सका। ये मकानों को बेचने के फैसले को स्थगित करने के कारण थे। यह आगे बताया गया कि मामला फिर से औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत समझौता ज्ञापन के अनुसार 8.3.1979 पर डीटीसी बोर्ड के समक्ष विचार के लिए आया। उक्त डीटीसी बोर्ड की बैठक में उन्होंने केन्द्र सरकार के पत्र दिनांकि 14.09.1979 जिसमें नियोक्ताओं ;डी.टी.सी.द्ध को मकान बेचने की अनुमति दी गयी। हालांकि विद्वान वकील के अनुसार योजना केवल सामथ्र्यकारी योजना थी जो डीटीसी पर घर बेचने का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं करती थी। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इसी तरह मामले को फिर से डी. टी. सी. के समक्ष 18.4.1979 को रखा गया था जब डी. टी. सी. बोर्ड ने रहने वालों को घर बेचने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की थी। हालांकि विवरण पर काम किया जाना था। इस बात का पट्टादाता अर्थात् डी. डी. ए. के साथ विचार करना आवश्यक था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 18.4.1979 निर्णय अस्थायी निर्णय था जिसके लिए डी. डी. ए. और भारत सरकार के साथ विवरण की आगे की जांच की आवश्यकता थी।

डी. टी. सी. के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रस्ताव पारित किया गया था। अपीलकर्ताओं में से किसी को भी प्रस्ताव कभी सूचित नहीं किया गया कि आवंटन का कोई पत्र कभी जारी नहीं किया गया था कि भारत सरकार से विभिन्न स्पष्टीकरण मांगे गए थेयह कि दिनांक 31.08.1979 को प्रस्ताव को मंजूरी देने का निर्णय फिर से केन्द्र सरकार से

कुछ स्पष्टीकरणों के अधीन था, यह कि चूंकि डीटीसी के अध्यक्ष को आपत्ति थी, इसलिए मामले को आगे के विचार के लिए डीटीसी के समक्ष दिनांक 03.12.1979 को रखा गया था। जब मामले पर विस्तार से चर्चा की गई थी और अंततः बोर्ड ने निर्णय लिया कि ऊपर बताए गए कारणों के लिए स्वामित्व के आधार पर फ्लैटों को रहने वालों को बेचने के भारत सरकार के नीतिगत निर्णय को लागू करना संभव नहीं होगा। इस प्रकार अंततः विद्वान वकील के अनुसार डी. टी. सी. बोर्ड ने निर्णय लिया कि आवासों को अपीलार्थियों को नहीं बेचा जा सकता है। यह निर्णय विशेष रूप से इसलिए लिया गया क्योंकि डीटीसी को केवल 480 मकान आवंटित किए गए थे जो अप्रैल 1979 में 5254 औद्योगिक श्रमिकों के आवास के लिए अपर्याप्त थे। मार्च 1981 में 5839 औद्योगिक श्रमिक थे। इन परिस्थितियों में यह कहते हुए दिनांक 2.3.1981 पर निर्णय लिया गया था कि अपीलार्थियों को घरों की बिक्री के लिए कोई आधार नहीं था।

विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थियों की ओर से किये गये तर्क कि प्रस्ताव दिनांकित 18.4.1979 ने अपीलार्थियों को घर उन्हें हस्तांतरित करने का अधिकार प्रदान किया, तर्क में कोई योग्यता नहीं है विद्वान वकील ने बताया कि मुकदमा विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 34 के तहत दायर किया गया था जिसमें डीटीसी को वादी को मकान हस्तांतरित करने का निर्देश देने वाली औद्योगिक राहत के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी। यह आगे बताया गया कि मुक़दमे में विशिष्ट पालना के

लिए कोई प्रार्थना नहीं थी और यह कि पूरा मुक़दमा वचन विबन्धन की याचिका पर आधारित था। इन परिस्थितियों में विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थियों द्वारा दायर मुकदमे में कोई योग्यता नहीं थी।

जैसा कि ऊपर कहा गया है वादियों की ओर से दो तर्क उठाए गए हैं, सबसे पहले अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनके पक्ष में एक कानूनी अधिकार बनाया गया था जिसे संकल्प नम्बर 55/79 दिनांकित 18.4.1979 को संकल्प नम्बर 139/79 दिनांकित 31.8.1979 के साथ पढ़ा गया था। दूसरा, उन्होंने तर्क दया कि भले ही कोई कानूनी अधिकार न हो, लेकिन डीटीसी के आचर द्वारा उनके पक्ष में एक विबन्धन बनाया गया था और इसलिए डीटीसी के लिएप्रस्ताव संख्या 179/79 दिनांक 3.12.1979 के माध्यम से अपने पहले के निर्णय से पीछे हटने के लिए खुला नहीं था।

हम उपरोक्त दो तर्कों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

जहाँ तक पहले विवाद का संबंध है, हम अवलोकन करते हैं कि वचन विबन्धन इक्विटी या दायित्वों पर आधारित है। यह निहित अधिकार पर आधारित नहीं है। इक्विटी में न्यायलय को ,क ओर व्यक्तिगत अधिकारों और दूसरी ओर व्यापक लोक हित के मध्य संतुलन बनाना होता है। अनुबंध की स्वतंत्रता एक सामान्य कानून नागरिक स्वतंत्रता है जिसका सभी व्यक्तियों द्वारा आनंद लिया जाता है। लेकिन जब सरकार निजी पक्षों के साथ अनुबंध कर रहा है यह सामान्य कानून की स्वतंत्रता प्रशासनिक

कानून के सिद्धान्तों से सीमित होती है, जिसके लिये व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हमे याद रखना चाहि, कि यह व्यापक जनहित नहीं है कि केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समायोजित/ठहराया जा, बल्कि सेवारत मजदूरों को भी समायोजित/ठहराना है। जहां तक कि संविधान के अनुच्छेद 39 ;बीद्ध और ;सीद्ध में निहित सिद्धांतों को भी लागू करें तब भी समतावादी समानता के लिए सरकार को प्रतिद्वस्पर्धी दावों के मध्य संतुलन बनाना के आवश्यकता है। हमारे संविधान में निहित सामाजिक न्याय के लि, भी प्रशासन को प्रतिस्पर्धी दावों के मध्य संतुलन बनाना होता है। वर्तमान मामले में डी.टी.सी. ने सैद्धांतिक रूप से औद्योगिक श्रमिकों को स्वामित्व के आधार पर मकानों को हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि जब डी. टी. सी. ने जमीनी हकीकत की जांच की तो पाया कि संसाधनों की भारी कमी है। प्रतिस्थापन की बढ़ी हुई लागत 3 करोड़ रुपये चल रही है। केन्द्र सरकार ने भी निर्माण की पूरी लागत का भुगतान नहीं किया। डीटीसी को लगभग 5000 सेवाकालीन कर्मचारियों को 480 घरों में समायोजित करना था। प्रासंगिक समय में डीटीसी घाटे में चल रहा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम था। इन कठिनाइयों के बावजूद डीटीसी ने वादियों के दावों को समायोजित करने की कोशिश की हालांकि वे ऐसा नहीं कर सके। इन परिस्थितियों में अंततः डीटीसी द्वारा भारत सरकार को सूचित किया कि उपरोक्त परिस्थितियों में योजना को लागू करना संभव नहीं था। इसलिए हमारे

विचार में डीटीसी के आचरण को दोष नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा जैसा कि ऊपर बताया गया है स्वामित्व के आधार पर मकानों के आवंटन का निर्णय का प्रस्ताव संख्या 139/79 दिनांकित 31.8.1979 एक अस्थायी निर्णय था। डीटीसी द्वारा किसी भी व्यक्तिगत कर्मचारी के साथ कोई अनुबंध नहीं किया गया था। डी.टी. सी. पट्टेदार था। डी. डी. ए. पट्टादाता था। डीटीसी को डीडी, के साथ लागत लाभ अनुपात निर्धारित करना था। यह अभ्यास कभी नहीं किया गया था। डी. टी. सी. द्वारा कभी भी वादियों को एक भी पत्र नहीं भेजा गया था। कोई औपचारिक बिक्री शर्तें कभी भी डीटीसी द्वारा वादियों को तय या सूचित नहीं की गई थीं। किसी भी वादी को कभी भी डीटीसी को अंतिम बिक्री राशि का भुगतान करने के लिए नहीं कहा गया था। इन परिस्थितियों में संकल्प संख्या 139/79 दिनांक 31.8.1979 एक अस्थायी निर्णय था और न कि एक अंतिम और बाध्यकारी निर्णय था, जैसा कि आरोप लगाया गया था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त प्रस्ताव ने अपने आप में एक कानूनी अधिकार पैदा किया है। हम डी. टी. सी. के संकल्प संख्या 179/79 दिनांक 3.12.1979 में कोई पूर्वाग्रह, भेदभाव या मनमानापन नहीं पाते हैं, जिसके द्वारा डी. टी. सी. ने अपने पहले के निर्णय को वापस ले लिया था। डी. टी. सी. को नुकसान होता था। प्रतिस्थापन लागत 3 रुपये तक बढ़ गई थी। समायोजित किए जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी। 480 आवासों के मुकाबले डी. टी. सी. में 5000 औद्योगिक कार्यबल

था, उन्हें भी समायोजित करना पड़ा। यहां तक कि केन्द्र सरकार ने भी योजना को लागू नहीं करने के अपने फैसले में डीटीसी के साथ सहमति व्यक्त की। यह योजना एक सामथ्र्यकारी करने वाली योजना थी। यह अनिवार्य नहीं थी। डीटीसी योजना के तहत घरों को बेचने के लिए बाध्य नहीं था। भारत सरकार ने डी. टी. सी. को बहुत कम धन दिया था। डीटीसी को वास्तव में भारत सरकार से लिए गए ऋण को ब्याज के साथ चुकाना पड़ता था। इन परिस्थितियों में डीटीसी को रहने वालों को बिक्री के माध्यम से दो कॉलोनियों को आवंटित करने के अपने फैसले को वापस लेने के लिए खुला था। इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि आवासों को नहीं बेचने के लिए डीटीसी द्वारा पारित विवादित प्रस्ताव नंबर 35/81 दिनांक 02.03.1981 किसी भी तरह से मनमाना, पक्षपातपूर्ण या भेदभावपूर्ण था। हम अपीलार्थियों की ओर से दिए गए इस तर्क में भी कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि डीटीसी के वादे पर भरोसा करते हुए उन्होंने कुछ अन्य आवास योजनाओं के तहत खरीद का विकल्प नहीं चुनकर अपनी स्थिति को अपने पूर्वाग्रह में बदल दिया। यह कि उन्होंने इन सभी वर्षों में कहीं और फ्लैट नहीं खरीदा। उपरोक्त विवाद में कोई योग्यता नहीं है। बिक्री को मंजूरी देने का संकल्प दिनांक 31.8.1979 को 3.12.1979 द्वारा अध्यक्ष ने उपरोक्त कठिनाइयों की ओर इशारा करते हुये स्थगित कर दिया गया था। इसके अलावा अपीलार्थियों को कभी भी व्यक्तिगत रूप से भुगतान

करने के लिए कोई संचार नहीं भेजा गया था। इसलिए जैसा कि आरोप लगाया गया है कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।

वादियों की ओर से किये गए दूसरे विवाद पर आते हुए हमें जो सवाल पूछना है वह है कि क्या इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वादी वचन विबन्धन के सिद्धान्त के आधार पर अपने पक्ष में आवासों के हस्तांतरण के लिए मजबूर कर सकते थे।

वर्तमान मुकदमा इक्विटी पर आधारित है, जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है उसके अनुसार इक्विटी शब्द के चार अलग.अलग अर्थ हैं। आमतौर पर इसका अर्थ है ''एक संपत्ति में न्यायसंगत हक के लिए''। कभी.कभी इसका अर्थ होता है केवल इक्विटी जो संपत्ति के किसी अधिकार के लिए एक प्रक्रियात्मक अधिकार जो कि सम्पत्ति में अन्य किसी अधिकार के सहारे हो। उदाहरण के लिए किसी हस्तानांतर पत्र को ठीक कराने का न्यायसंगत अधिकार। तीसरा, इसका अर्थ ''फ्लोटिंग इक्विटी' हो सकता है, एक ऐसा शब्द जिसका उपयोग वसीयत के तहत लाभार्थी के हक का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। चैथा, 'निषेधाज्ञा या अन्य न्यायसंगत उपचारप्राप्त करने का अधिकार'। वर्तमान मामले में, वादी ने एक उपाय की मांग की है जो विवेकाधीन है। उन्होंने 1963 के अधिनियम की धारा 34 के तहत मुकदमा दायर किया है। न्यायालय को जिस विवेकाधिकार का प्रयोग करना है, वह न्यायिक विवेकाधिकार है। उस

विवेक का प्रयोग सुव्यवस्थित सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए। इसलिए न्यायालय को विचार करना होगा.दायित्व की प्रकृति जिसके संबंध में निष्पादन की मांग की जाती है, परिस्थितियाँ जिनके तहत निर्णय लिया गया, पक्षों का आचरण और डिक्री देने वाले न्यायालय का प्रभाव। ऐसे मामलों में न्यायालय को अनुबंध को देखना होता है। न्यायालय को यह पता लगाना होगा कि क्या अनुबंध में पारस्परिकता का कोई तत्व मौजूद है। यदि पारस्परिकता की अनुपस्थिति है तो न्यायालय वादियों के पक्ष में विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। भले ही पारस्परिकता की कमी को विवेकाधीन माना जाता है और विशिष्ट पालना के लिए एक पूर्ण बाधा के रूप में नहीं माना जाता है। न्यायालय को मामले की विषय.वस्तु के संबंध में पक्षकारों के पूरे आचरण पर विचार करना होगा। और किसी भी अयोग्य परिस्थितियों के मामले में न्यायालय अनुरोध की गई राहत प्रदान नहीं करेगा। {स्नेल की इक्विटी 31 वें संस्करण पृष्ठ 366} वर्तमान मामले में उपरोक्त परीक्षण को लागू करते हुए हम पारस्परिकता का एक अंश नहीं पाते हैं। डीटीसी और वादियों के बीच कोई अनुबंध नहीं है। डीटीसी और वादियों के मध्य किसी भी समय कोई संवाद नहीं होता है। कोई भी बिक्री प्रतिफल कभी तय नहीं किया गया था। वादियों को कभी भी भुगतान करने के लिए नहीं बुलाया गया। आवंटन का निर्णय अस्थायी बना रहा। इन परिस्थितियों में किसी भी समय न तो अनुबंध और न ही इक्विटी मौजूद

थी ताकि डी. टी. सी. को वादी को आवास देने के लिए मजबूर किया जा सके।

बिक्री कर अधिकारी और अन्य बनाम श्री दुर्गा आॅयल मिल्स और अन्य (1998) 1 एस.सी.सी. 572 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भी बदला जा सकता है यदि इसमें एक प्रमुख लोक हित शामिल है। उस मामले में राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया था कि विक्रेताओं को बिक्री कर से छूट देने वाली विभिन्न अधिसूचनाओं के परिणामस्वरूप संसाधनों की गंभीर कमी हो गई थी। वित्तीय स्थिति पर पुनर्विचार करने पर उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम की धारा 6 के तहत जारी छूट अधिसूचनाओं के दायरे को सीमित करने का निर्णय लिया गया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिसूचना को वापस लेना जनहित में किया गया था और यह न्यायालय जनहित में सरकार द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह भी देखा गया कि सार्वजनिक हित को निजी नुकसान या लाभ के किसी भी विचार पर हावी होना चाहिए और इसलिए संसाधन की कमी के आधार पर नीति में बदलाव की याचिका उड़ीसा के बिक्री कर अधिनियम के तहत निर्धारिती के मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त थी।

न्यायिक दृष्टांत शर्मा ट्रांसपोर्ट बनाम आन्ध्रप्रदेश सरकार और अन्य (2002) 2 एससीसी 188 यह न्यायालय हममें से एक के माध्यम से

बोलते हुये न्यायमूर्ति पर पसायत के द्वारा पैरा 23 के माध्यम में जो अवलोकन किया गया, वह निम्नानुसार हैः-

अगर इसे ध्यान में रखते हुये सरकार द्वारा यह दिखाया जाता है कि वे तथ्य जो घटित हुये हैं, उनको ध्यान में रखते हुये सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को उनके द्वारा किये गये वादे या प्रतिनिधित्व के लिये जिम्मेदार ठहराना न्यायविरूद्ध होगा। न्यायालय ऐसे वादे के पक्ष में इक्विट नहीं उठाएगा और सरकार के खिलाफ वचन को लागू नहीं करेगा। ऐसे में वचन विबन्धन का सिद्धान्त विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तथ्यों में न्याय यह अपेक्षा करता है कि सरकार को इसके द्वारा किये गये वादे के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए

लेकिन सरकार को यह दिखाने में सक्षम हो कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जैसा कि सामने आया है सार्वजनिक हित की हानि नहीं होगी। जहां सरकार को वादे को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है, वहां न्यायालय को सरकार द्वारा नागरिकों से किए गए वादे को पूरा करने में सार्वजनिक हित को संतुलित करना होगा, जिससे नागरिकों को कार्य करने और अपनी स्थिति बदलने में मदद मिलती है और सार्वजनिक हित को नुकसान होने की संभावना होती है। सरकार द्वारा वादों को पूरा करना और यह निर्धारित करना आवश्यक था कि इक्विटी किस दिशा में है। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि जनहित में यह आवश्यक है कि सरकार को ऐसा करने के

लिए मजबूर नहीं किया जायेगा। या सरकार को इसका सम्मान करना होगा कि सार्वजनिक हित को नुकसान होगा । अपने दायित्व का विरोध करने के लिए सरकार अदालत में उन विभिन्न घटनाओं का खुलासा करेगी, जो दायित्व से मुक्त होने के दावे पर जोर देती है। और यह अदालत को तय करना होगा क्या वे घटनाएँ ऐसी हैं जो सरकार के खिलाफ दायित्व को लागू करने के लिए असमान बनाती हैं।

इसी तरह बन्नारी अम्मान शुगर लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य ;2005 द्ध, 1 एस. सी. सी. 625, इस न्यायालय की खंड पीठ ने हम में से एक, न्यायमूर्ति जे. पसायत द्वारा पैरा 19 और 20 के माध्यम से बोलते हुए निम्नलिखित टिप्पणी कीः

19. वचन निषेध के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से लागू करने के लिए याचिका में ही ठोस और सकारात्मक आधार रखा जाना चाहिए और बिना किसी सहायक सामग्री के बिना इस प्रभाव के कि सिद्धांत आकर्षित होता है क्योंकि सिद्धान्त का आह्वान करने वाली पार्टी ने सरकार के आष्वासन पर भरोसा करते हुए अपनी स्थिति बदल दी है, सिद्धांत की सहायता के लिए दबाव डालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। न्यायालय प्राप्त किये जाने वाले परिणामों और जनता की भलाई सहित सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए बाध्य हैं, जिनमें शामिल हैं क्योंकि सिद्धांत की प्रयोज्यता पर विचार करते समय न्यायालयों को निष्पक्षता बरतनी होगी और निष्पक्षता के

मौलिक सिद्धांत हमेशा के लिए न्यायालय के दिमाग में मौजूद रहने चाहिए।

20. श्रीजी सेल्स कॉर्पोरेशन और अन्य बनाम भारत संघ ;1997 द्ध, 3 एस. सी. सी. 398 में यह देखा गया कि एक बार सार्वजनिक हित को श्रेष्ठ इक्विटी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है जो व्यक्तिगत इक्विटी सिद्धांत को ओवरराइड कर सकता है तो सिद्धान्त उन मामलों में भी लागू होगा जहां वादे को पूरा करने के लिए एक अवधि का संकेत दिया गया है। यदि एक पर्यवेक्षणीय सार्वजनिक इक्विटी है, तो सरकार को अपना रुख बदलने की अनुमति दी जाएगी और उसके द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व से पीछे हटने की शक्ति होगी, जिसने व्यक्तियों को कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, जो ऐसे व्यक्तियों का हित प्रतिकूल हो सकते थे, इस तरह की निकासी के कारण। इसके अलावा सरकार अपने वादे को रद्द करने के लिए सक्षम है, भले ही वहाँ इसमें कोई स्पष्ट सार्वजनिक हित शामिल नहीं है, बशर्ते किसी को ऐसी प्रतिकूल स्थिति में ना डाला जाए, जिसे सुधारा ना जा सके। इसी तरह का विचार पवन अलोयज एण्ड कास्टिंग प्रा. लि. बनाम यूपी राज्य विद्युत बोर्ड व अन्य एआईआर ;1997 द्ध ससी 3910 और बिक्री कर अधिकारी व अन्य बनाम श्री दुर्गा आॅयल मिल्स व अन्य ;1998 द्ध 1 एससीसी 572 और आगे यह माना है कि यदि स्थिति इतनी आवश्यक हो तो सरकार अपनी औद्योगिक नीति को बदल सकती है और केवल इसलिए कि एक विशेष अवधि के लिए संकल्प की घोषणा की गई

थी, इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार नीति में संशोधन और बदलाव नहीं कर सकती थी। किसी भी परिस्थिति में। यदि सिद्धांत के आवेदन का दावा करने वाली पार्टी ने अधिसूचना के आधार पर कार्य किया है, तो उसे पता होना चाहिए कि ऐसी अधिसूचना किसी भी समय संशोधित या रद्द की जा सकती है, यदि सरकार को लगता है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है।

उपरोक्त परीक्षणों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने पर, हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में वचन विबन्धन के सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं था। इक्विटी के संतुलन पर हमारा विचार है कि डीटीसी, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, को इस अर्थ में सार्वजनिक अर्थ में कार्य करना था कि परिवहन सेवा को चालू रखना था, जिसके लिये उन्हें औद्योगिक श्रमिकों समायोजित करना था जो वे नहीं कर सकते थे। यदि उसे मौजूदा सेवा क्वार्टरों को सेवानिवृत्त लोगों को बेचना पड़ता। इन परिस्थितियों में, खण्ड पीठ ने विद्वान ,कल न्यायाधीश द्वारा पारित डिक्री को रद्द करने का फैसला सही किया था।

हमें सिविल अपील में कोई योग्यता नहीं मिली और तदनुसार लागत के बारे में कोई आदेश दिये बिना उसे खारिज कर दिया गया।

ए.के.टी. अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अमितेश कुमारी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।